

मालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

2/24 पत्तावली पेश हुई। वादी व वादी वकील इच्छा नहीं। प्रकरण में वादी व वादी वकील को कार-बार समाप्त दिलवायी गयी। बजाय दिलवाने के बजाय वादी व वादी वकील इच्छा नहीं। निम्नलिखित प्राप्ति यह है कि वादी व वादी वकील प्रकरण समाप्त चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः क्र. नं. 52/18 द्वारा पन्ना बजाय अस्तित्व अदम्य अपरी व अदम्य पेशवी में श्लेषित किया जाता है। पत्तावली के बजाय हुजूर को नज़र में रख दी।

12/2/14

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करीब)

[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through or very light handwriting]

